झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

:: संकल्प ::

संख्या–4/स0भू0 नीति–163/2016...5692.../रा0, दिनांक–...26-10-16

विषय :– झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी इकाईयों यथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0/झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0 के अंतर्गत 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों /220/132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण एवं हस्तांतरण की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–9293/रा., दिनांक–15.12.1964 के द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड को व्यवसायिक उपक्रम मानते हुए सशुल्क सरकारी भूमि हस्तांतरित की जाती थी। ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के सफल कार्यान्वयन एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की भौतिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में विद्युत ग्रिड एवं उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु उक्त परिपत्र को राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2443/रा., दिनांक–17.07.2007 के द्वारा संशोधित करते हुए न्यूनतम सरकारी/खासमहाल भूमि को ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड) को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जाता है।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक–06.01.2014 के प्रभाव से तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को विघटित कर झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी इकाईयों-यथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 एवं झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का स्वतंत्र इकाईयों के रूप में गठन किया गया है एवं झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक–02.11.15 को झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी इकाईयों के अंतर्गत होने वाले संरचनाओं (विद्युत सब–स्टेशनों एवं ग्रिडों) के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण किये जाने हेतु झारखण्ड सरकार से अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया था।

3. अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.10.16 के मद संख्या–16 में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी इकाईयों यथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों 220/132/33 के0भी0, ग्रिड सब–स्टेशनों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

4. उक्त कार्य हेतु भूमि के हस्तांतरण के लिये सभी उपायुक्तों को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

5. मात्र प्रासंगिक मामले में ही प्रभावी राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4306 / रा., दिनांक–24.10.14 एवं पत्रांक–3026 / रा., दिनांक–07.10.2010 को शिथिल किया जाता है।

6. पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2443 / रा., दिनांक–17.07.2007 को रद्द किया जाता है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

26/10/16

(धर्मेन्द्र पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4 / स.भू. नीति–163 / 2016 5692 / रा0, राँची, दिनांक– 26-10-16

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/16

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4 / स.भू. नीति–163 / 2016 5692 / रा0, राँची, दिनांक– 26-10-16

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/16

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4 / स.भू. नीति–163 / 2016 5692 / रा0 राँची, दिनांक– 26-10-16

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / सदस्य, राजस्व पर्षद / राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/16

सरकार के अपर सचिव

sec4/sankalp/JUVNL (lalit)